[illegible] 15/7/18 को पेश है।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तलबी हेतु कोई भी नोटिस वापस पेश नहीं किये। व्यापहित में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/3/18 को पेश हो।

27/3/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली प्रकोष्ठ वास्ते तलबी हेतु दिनांक 3/4/18 को पेश हो।

18/4/18 पत्रावली आज दिनांक को कैम्प न्याय आपके द्वारा आँवली में प्रस्तुत हुई। पूर्व आदेशों की पालना नहीं की गई। इसलिये वाद को CPC की धारा 09 RS के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से काम हो। वाद पूर्व फीस रद्द हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]